

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड


सं.2020/ईआरबी-4/12/2/एक्स-इंडिया

नई दिल्ली- दिनांक: 16 मार्च, 2020

परिपत्र

कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए प्रचलित स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारतीय नागरिक जो विदेशों से वापिस लौटे हैं और अन्य प्रोटोकॉल से गुजरे हैं, आने के बाद 14 दिन के लिए घर में पृथक रूप से रहें। तदनुसार, रेलवे बोर्ड के सभी पदाधिकारियों, जो विदेश से वापिस लौटे हैं/वापिस लौटने वाले हैं, को यह सलाह दी जाती है कि इस पर दिए गए मार्ग-निर्देशों का कड़ाईपूर्वक पालन करते हुए 14 दिन तक घर पर पृथक रूप से रहें।

2. कर्मचारियों को यह भी सलाह दी जाती है कि कार्यालय (ईआरबी-4/ईआरबी-1) को अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से अद्यतन करवाएं।


(अनिल कुमार/सी.वी.)
अवर सचिव (प्रशासन)

रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी,
प्रगति मैदान (मैट्रो भवन) एवं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय।